उत्तर पश्चिम रेल्वे

1

मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय
उत्तर पश्चिम रेल्वे, जोधपुर

No. 1 AT/Safety/Safety Circular-1/JU/2024/01 दिनांक 31.01.2024

सभी अधिकारी उ.प.रे. जोधपुर मण्डल, सभी स्टेशन अधीक्षक स्टेशन मास्टर, यातायात निरीक्षक, संरक्षा सलाहकार, यार्ड मास्टर, वरि.सेक्शन इंजीनियर(रेल पथ), वरि.सेक्शन इंजीनियर(संकेत), वरि.सेक्शन इंजीनियर(दूरसंचार), वरि.सेक्शन इंजीनियर (सवारी व माल) मुख्य लोको निरीक्षक मुख्य नियंत्रक कंट्रोल, मुख्य नियंत्रक कैरेज, मुख्य नियंत्रक कंट्रोल लोको, मुख्य नियंत्रक (दूरसंचार), मुख्य नियंत्रक (बिजली), प्रशिक्षक यातायात प्रशिक्षण स्कूल जोधपुर, गार्ड व चालक फ़ाइल जोधपुर, जैसलमेर, मेड़तारोड, बाड़मेर व समदड़ी, प्राचार्य डीजल प्रशिक्षण केंद्र भगत की कोठी।

मंडल संरक्षा परिपत्र - 01/2024

रेल पथ पर कार्य के दौरान समुचित बचाव के सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करने के लिए निम्न बिन्दुओ पर आवश्यक रूप से ध्यान दिया जाए।

1. कार्यस्थल पर ठेकेदार के प्रतिनिधि का मौजूद रहना आवश्यक है।
2. कार्यस्थल पर लुकआउट मैन/ फ्लैग मैन की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।
3. वरि सेक्शन इंजीनियर (रेल पथ) द्वारा स्थल पर्यवेक्षक को योग्यता प्रमाण पत्र जारी किया जाना चाहिए।
4. ट्रैक के निकट कार्य करने के लिए ठेकेदार के प्रशिक्षित पर्यवेक्षक को नियुक्त किया जाए।
5. कार्य प्रारम्भ करने से पहले ग्रीन नोटिस जारी होना सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
6. कार्यस्थल पर हूटर की उपलब्धता को सुनिश्चित की जाए।
7. चलित लाइन के निकट मिट्टी भरने का कार्य करते समय समुचित अवरोध तथा साइनबोर्ड उपलब्ध किया जाना चाहिए।
8. गति प्रतिबंध के लिए समुचित जगहों पर कॉशन सूचक बोर्ड उपलब्ध किया जाना चाहिए।
9. विभागीय पर्यवेक्षक को वॉकी-टॉकी/ संरक्षा उपकरण उपलब्ध किया जाना चाहिए।

Scanned with OKEN Scanner

10. कार्यस्थलों पर **First Aid Box** उपलब्ध कराया जाए ।

11. मुख्य लाइन के पास रेल के टुकड़े नहीं छोड़े जाने चाहिए ।

12. निर्माण में प्रयुक्त वाहनों को ट्रैक से सुरक्षित दूरी पर खड़ा करना चाहिए |

13. सहायक अधिकारी के स्तर के अधिकारी द्वारा लारी को योग्यता प्रमाण पत्र जारी किया जाना चाहिए |

14. कार्यस्थलों पर अपंजीकृत वाहनों का उपयोग नहीं करना चाहिए |

15. सड़क वाहन चालक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए |

16. कार्य के निष्पादन के समय विध्यमान रेल्वे परिसंपती को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए |

17. ठेकेदार के द्वारा नामित सुपरवाइजरों के विवरण एवं सक्षमता प्रमाण पत्रों से अवगत कराये |

18. कोई भी ट्रक, ट्रैक्टर, क्रैन, जेसीबी, रोलर या अन्य कोई मशीन ट्रैक से 6 मीटर दूर रहना सुनिश्चित करें |

निरीक्षण करने वाले अधिकारी अपने निरीक्षण के दौरान उपरोक्त पहलुओं की जांच अवश्य करें |

वरि. मण्डल संरक्षा अधिकारी
उ.प.रे. जोधपुर

प्रतिलिपि :- म.रे.प्रबन्धक व अ.म.रे. प्रबन्धक को सादर सूचनार्थ।

Scanned with OKEN Scanner